छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 263 / 2007</u>

श्री जवाहर नागदेव,
सी–3 आर.डी.ए. बिल्डिंग,
शारदा चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 07 सितम्बर 2007)

अपीलार्थी श्री जवाहर नागदेव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर को आवेदन दिनांक 14–11–2006 प्रस्तुत कर उनसे 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 22–12–2006 को जानकारी दी गई, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा चाही गई पूर्ण जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं दी गई। अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी से स्वयं का मकान होते हुये भी किसी शासकीय सेवक को शासकीय आवास आबंटित होने पर शासकीय आवास की पात्रता एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी माँगी थी। साथ ही पूर्व में की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी माँगी थी, इनमें से पूर्व में की गई शिकायत की जानकारी अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के अंदर प्रदान कर दी गई तथा शेष जानकारी दिनांक 22–12–2006 को दी गई। अपीलार्थी ने विलंब से जानकारी देने के लिये जन सूचना अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की।

3/ जन सूचना अधिकारी का यह तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17–11–2006 को प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार जानकारी चाही जो कि उसे दिनांक 22–12–2006 को दी गई। अतः जानकारी देने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अन्य शाखाओं से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण आंशिक विलम्ब हुआ। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि जानकारी अपीलार्थी को दी गई है, किन्तु अपीलार्थी को यह भी जानकारी दी जाना चाहिये थी कि स्वयं का आवास रहते हुये भी यदि किसी शासकीय सेवक को शासकीय आवास आबंटित रहता है तो शासन के नियमानुसार किस दर पर मकान का किराया निर्धारित होगा। यह सही है कि स्वयं का

मकान रहते हुये शासकीय आवास गृह आबंटित करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। किन्तु इसके लिये गृह विभाग के द्वारा निर्धारित किराया लिया जावेगा। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी दी गई है। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि किराये की जानकारी नहीं दी गई है, किन्तु उसके द्वारा जानबूझकर त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं दी गई और न ही जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी देने में विलम्ब किया गया। अतः जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर शासन के उक्त नियमों की प्रति दी जावे, जिसके अनुसार व्यक्तिगत आवास रहते हुये भी यदि शासकीय सेवक शासकीय आवास में रहता है, तो उसका किराया किस दर पर निर्धारित होगा।

4/ चूँकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई तथा जानकारी देने में आंशिक विलम्ब किया गया, जिससे अपीलार्थी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुँची है। अतः अपीलार्थी को अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत विभाग की ओर से 250/–रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

5/ उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त